दर्ज जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। अन्यथा प्रार्थीया को असहनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ में कतई सम्भव नहीं है। कि प्रार्थीया के 1/24 इक: हिस्से में विपक्षीगण कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर रहे है, रोक टोक कर रहे है काश्त नही करने दे रहे है तथा जबरन बेदखल करने पर आमादा है तथा हक हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है एवं प्रार्थीया को उसके हक हिस्से की उक्त भूमि को बिना विभाजन कराये उक्त भूमि को खुर्द बुर्द रहन विक्रय करने पर आमादा है। विपक्षीगण को जरिये अस्थायी को असहनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ में किया जाना सम्भव नहीं है। कि वाद कारण दिनांक 05.05.2017 को पैदा होकर सतत् रूप से जारी है। कि प्रार्थीया का प्राईमाफेशी केश होकर सुविधा सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है। अतः प्रार्थना है कि ग्राम साईपीपला पटवार हल्का मांगटला की शरहद में खाता संख्या 69 की आराजी संख्या 84 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा आराजी संख्या 85 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा आराजी संख्या 90 रकबा 9 बिस्वा आराजी संख्या 91 रकबा 13 बिस्वा आराजी संख्या 92 रकबा 13 बिस्वा आराजी संख्या 93 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा आराजी संख्या 105 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा आराजी संख्या 106 रकबा 6 बिस्वा आराजी संख्या 107 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा आराजी संख्या 108 रकबा 1 बिस्वा आराजी संख्या 109 रकबा 4 बिस्वा आराजी संख्या 110 रकबा 1 बिस्वा आराजी संख्या 112 रकबा 4 बिस्वा आराजी संख्या 113 रकबा 1 बिस्वा आराजी संख्या 114 रकबा 3 बिस्वा आराजी संख्या 115 रकबा 5 बिस्वा आराजी संख्या 116 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा आराजी संख्या 117 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा आराजी संख्या 118 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा आराजी संख्या 119 रकबा 1 बीघा आराजी संख्या 120 रकबा 11 बिस्वा आराजी संख्या 121 रकबा 9 बिस्वा आराजी संख्या 122 रकबा 7 बिस्वा आराजी संख्या 123 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा आराजी संख्या 124 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा आराजी संख्या 125 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 26 रकबा 35 बीघा 09 बिस्वा भूमि में प्रार्थीया 1/24 हक हिस्से की भूमि में विपक्षीगण प्रार्थीया के कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी नही करे, रोक टोक नहीं करे, प्रार्थीया को जबरन बेदखल नहीं करे उक्त भूमि को बिना विभाजन कराये खुर्द बुर्द रहन विक्रय नही करे न विक्रय पत्र का पंजीयन करावे इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा विपक्षीगण के विरूद्व सादिर फरमायी जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया।

दिनांक 20.07.2021 को प्रार्थी श्री रामलाल पिता मांगु, फोरू पिता नंगा जाति भील निवासी साईपीपला तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश पालीवाल के अधिकार पत्र मय वर्तमान जमाबन्दी संलग्न कर एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त अनवान का प्रार्थनापत्र श्रीमान् न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होकर आज की तारीख पेशी नियत है। यह कि ग्राम साईपीपला पटवार हल्का मांगटला की सरहद में स्थित खाता संख्या 69 की आराजी नम्बर 84,85,90,91,92,93,105,106,107,108, 109,110,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125 किता 26 रकबा 35 बीघा 09 बिस्वा (वर्तमान हैक्टयर 5.7385) भूमि प्रार्थीया हीरादेवी व अप्रार्थी प्रार्थी के सामलाती खाते में स्थित है। यह कि प्रार्थीया [illegible] प्रस्तुत किया जिसमे गणेश पुत्र रामा जाति भील के विरूद्व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि प्रार्थीया को [illegible] बेदखल नही करे, ना विक्रय करे, उक्त भूमि को बिना विभाजन कराये खुर्द बुर्द [illegible] नही करे। ना विक्रय पंजीयन करावे। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा विपक्षीगण के विरूद्व सादर फरमायी जावे। कि खातेदार काश्तकार नही होकर विकय हस्तान्तरण व रहन करने का अधिकारी नही है। यह कि प्रार्थीया द्वारा विपक्षी गणेश पुत्र रामा जाति भील को विपक्षी पक्षकार बनाया जो कलम

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.09.29 17:32:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner